न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 145 / 21
(जीसीएमएस संख्या 2021 / 276)

निर्णय दिनांकः 31.10.2023

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

1. शारदा बेवा कृष्णराम जाति मेघवाल निवासी 7 एडीवाई राववाला तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 21–10–2009
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 30–05–1998 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील खाजुवाला में बतौर विशेष आवंटन हेतु चक 7 एडीवाई के मुरब्बा नम्बर 114 / 10 की 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तमाम सबूतों

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

के साथ प्रस्तुत किये गये थे। परन्तु अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का का प्रार्थना पत्र बावजूद सूचना किसी प्रकार के सबूत पेश नहीं करने के आधार पर अपीलांट के आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट् द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ कृषक होने के तमाम सबूत प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रमाण पत्र की अनदेखी करते हुए मात्र अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने के उद्वेश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसप्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–10–2009 के विरूद्व अपील दिनांक 29–11–21 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–10–2009 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 29–11–2022 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र वांछित सबूत यथा पेशा कृषि कार्य नहीं होने के संबंध में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण खारिज किया गया है।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि चक 7 एडीवाई के मुरब्बा नम्बर 114/10 के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् में चैकलिस्ट में चक 7 एडीवाई के मुरब्बा नम्बर 114/10 के बाबत् रिपोर्ट लिये जाने का अंकन है तथा पत्रावली के अवलोकन से साबित है कि अपीलांट को दिनांक 24–02–2009 को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 04–03–2009 को उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसकी तामीली की सुनिश्चितता भी अदालत मातहत द्वारा नहीं की गई। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी किये बिना दिनांक 21–10–2009 को अपीलांट का प्रार्थना पत्र वांछित सबूत पेश नहीं करने के अभाव में खारिज कर दिया गया।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की कतई जॉच नहीं की गई कि न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की प्रार्थी पर विधिवत तामील प्राप्त हुई भी है अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा केवल मात्र प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के उद्वेश्य मात्र से बिना तथ्यों की जॉच व अपीलांट

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के उद्देश्य मात्र से एक साईक्लोस्टाईल आदेश के माध्यम से अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे अपीलांट को वांछित सबूत प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान करते। विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना कोई आदेश पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किये गये आदेश की श्रेणी में आता है। प्रस्तुत प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जो पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार आराजी जैर आज दिनांक को भी किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित नहीं होकर शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 21—10—2009 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलांट को वांछित सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए व सबूतों व अपीलांट् की आज दिनांक की पात्रता की जॉच करते हुए नियमानुसार आवेदित भूमि अथवा समान श्रेणी की अन्यत्र भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 31.10.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर